



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 के क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act. No. 3 of 1997)



सुशील बी. पखीड़े
Sushil B. Pakhide
सहायक कुलसचिव (वित्त)
Assistant Registrar (Finance)

टेलीफैक्स/Telefax : +91 7152 230906

ईमेल/Email: fo.mgahv@gmail.com


क्र : 002/001/शो.सं.अ.फा./2021-22/197

दिनांक : 10 नवंबर, 2022

परिपत्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को प्राप्त होने वाली शोधवृत्ति तथा आकस्मिक राशि प्रति माह प्राप्त होती है तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अर्थात् 31 मार्च को विश्वविद्यालय के खाते से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वापस ले ली जाती है।

अतः सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निर्देशानुसार सभी विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक को सूचित किया जाता है कि शोधार्थियों द्वारा दावा की जाने वाली आकस्मिक राशि का भुगतान एवं समायोजन चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाए। वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।


(सुशील बी. पखीड़े)

प्रतिलिपि :

1. कुलपति महोदय की ओर सूचनार्थ।
2. प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय।
3. कुलसचिव कार्यालय (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु)
4. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु